

Order Sheet [Contd]

Case No 390/17 बी०ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
14.11.2017	<p>पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश।</p> <p>आवेदकगण किलेदारसिंह एवं सुरेश द्वारा श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>थाना गोहद के अपराध क्रमांक 269/17 अंतर्गत धारा 306 भा०दं०वि० की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदकगण की ओर से राजेन्द्रसिंह एवं सुरेश सीसोदिया के परिवारपत्र की फोटोप्रति सूची सहित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की गई। नकल अभियोजन को दिलाई गई।</p> <p>जमानत आवेदन के साथ किलेदारसिंह के भतीजे एवं सुरेश के चचेरे भाई प्रीतम का शपथपत्र संलग्न किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० है। इस प्रकार का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय या समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट होता है।</p> <p>आवेदकगण के जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक किलेदारसिंह के दो पुत्र हैं। एक आवेदक सुरेश तथा दूसरा पुत्र जसमंत है। जसमंत की शादी नहीं हुई है और वह अपनी माँ के साथ इन्दौर में रहकर प्राईवेट नौकरी करता है। घर पिपरसाना में किलेदार एवं सुरेश तथा सुरेश की पत्नी बिल्ला और उसके पुत्र शिवराज आयु 8 वर्ष और मनीष आयु 4 वर्ष रहते थे। घटना दिनांक को रात्रि को लाइट चली गई थी तथा सुरेश की पत्नी मृत्तिका बिल्ला मिट्टी के तेल की चिमनी लेकर लाइट को सही कर रही थी तब तक लाइट अचानक आ गई और तारों की स्पाकिंग से वह डर गई तथा मिट्टी के तेल की लैम्प (चिमनी) उसके ऊपर गिर गई जिससे वह जल गई। आवेदकगण उसे इलाज के लिए लेकर आए, परंतु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। जमीन के बटवारे की बात स्वतः ही असत्य प्रतीत होती है, क्योंकि आवेदकगण के घर पर सुरेश की पत्नी मृत्तिका बिल्ला ही मालिक थी और सुरेश खेती बाड़ी करता था। आवेदकगण द्वारा कभी बिल्ला को प्रताड़ित नहीं किया गया। मृत्तिका बिल्ला के उक्त दो पुत्रगण जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, उनकी देखरेख करने</p>	

वाला कोई नहीं है। राजेन्द्रसिंह बीस वर्ष से अपने परिवार के साथ किलेदारसिंह से अलग रहता है और किलेदारसिंह से उसका बटवारा हो गया है। आवेदकगण दिनांक 08.11.17 से निरोध में है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 13.09.2017 को सुबह नौ बजे के लगभग आवेदक/अभियुक्त सुरेश के द्वारा उसके घर पर पुलिस को यह रिपोर्ट किया गया कि दिनांक 12.09.2017 को शाम 8 बजे के लगभग वह और उसकी पत्नी बिल्ला घर पर थे, उसकी पत्नी बिल्ला हाथ में चिमनी लेकर लाइट का तार जोड़ रही थी कि अचानक चिमनी बिल्ला के कपड़ों से टकरा गई और मिट्टी का तैल गिर गया एवं एकदम आग पकड़ ली तथा सुरेश दौड़ा तब पत्नी पर पानी डालकर आग बुझाई, फिर ट्रेक्टर से इलाज हेतु ग्वालियर ले जा रहा था तो रास्ते में बिल्ला खत्म हो गई। जिस पर से धारा 174 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत देहाती मर्ग इन्टीमेशन लेखबद्ध की गई जिसकी जाँच की गई। मर्ग जाँच में यह पाया गया कि मृतिका बिल्ला का पति सुरेश, ससुर किलेदार, चचिया ससुर राजेन्द्र मृतिका बिल्ला को अपने माता पिता से हिस्सा लाने के लिए आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते थे जिससे परेशान होकर मृतिका बिल्ला ने लेम्प का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। जिस पर से थाना गोहद में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदकगण की ओर से सुरेश का जो परिवारपत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें रामकली पत्नी किलेदार का नाम भी है, परंतु उसे इन्दौर में रहना बताया है। इस प्रकार आवेदकगण के ही अनुसार जिनके नाम परिवारपत्र में है वह साथ नहीं रहते थे। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए परिवारपत्र के आधार पर इस स्तर पर गुणदोष पर विचार नहीं किया जा सकता है। केस डायरी से स्पष्ट है कि पड़ोसियों के कथन लिए गए हैं, जिसमें यह बताया है कि सुरेश बिल्ला को उसके माता पिता की जमीन में से हिस्सा लेने के लिए गाली गलौज, मारपीट एवं प्रताड़ित करता था जिससे तंग आकर बिल्ला ने आत्महत्या कर ली। मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदकगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप दोनों आवेदकगण के जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए गए।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण का सार अंकित कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(मोहम्मद अजहर)

द्वि. अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)